दिनांक 12.05.2025
प्रेस विज्ञप्ति 20/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

कमिश्नरेट गाजियाबाद/थाना साहिबाबाद

- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 45 हजार रूपये नगद व 02 मोबाइल फोन**
- **घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल**
- **02 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 11/12.05.2025 की रात्रि थाना साहिबाबाद व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर 04 अभियुक्तों 1–दानिश 2–वीरू उर्फ वीरेन्द्र 3–हैदर 4–विशाल को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के 45 हजार रूपये नगद व 02 मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल, 02 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 08.05.2025 को थाना साहिबाबाद क्षेत्रान्तर्गत बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना साहिबाबाद पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल की बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपये व मोबाइल फोन लूट की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना साहिबाबाद पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–दानिश निवासी मुगल गार्डन थाना लोनी, गाजियाबाद।

2–वीरू उर्फ वीरेन्द्र आकाश विहार राम विहार बन्थला थाना टीला मोड गाजियाबाद।

3–हैदर निवासी खन्ना नगर थाना लोनी गाजियाबाद।

4–विशाल निवासी सरस्वती विहार गली नं0–2 जैन ग्रुप नाईपुरा थाना लोनी बार्डर, गाजियाबाद।

बरामदगी

1–लूट के 45 हजार रूपये नगद व 02 मोबाइल फोन।

2–घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल।

3–02 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद गोरखपुर/थाना एम्स

- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **भारी मात्रा में चोरी के पीली धातु के आभूषण**
- **चोरी के माल बिक्री से प्राप्त 03 लाख 42 हजार 200 रूपये नगद**
- **घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 11.05.2025 को थाना एम्स पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर रामगर करजहा पुलिया के पास से 04 अभियुक्तों 1–अनुराग 2–राज राय 3–विश्वबन्धु 4–दीपक कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से भारी मात्रा में चोरी के पीली धातु के आभूषण, चोरी के माल बिक्री से प्राप्त 03 लाख 42 हजार 200 रूपये नगद, घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि थाना एम्स क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी चोरी की घटना में प्रकाश में आये अभियुक्त की गिरफ्तारी व माल की बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण व नगद रूपये चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना एम्स पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अनुराग निवासी डीहघाट थाना झंगहा जनपद गोरखपुर।

2–राज राय निवासी डीहघाट थाना झंगहा जनपद गोरखपुर।

3—विश्वबन्धु निवासी महादेवा बाजार खलना थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर।

4—दीपक कुमार निवासी महादेवा बाजार पोस्ट बढियापार थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर।

बरामदगी

1—भारी मात्रा में चोरी के पीली धातु के आभूषण।

2—चोरी के माल बिक्री से प्राप्त 03 लाख 42 हजार 200 रूपये नगद।

3—घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल।

जनपद मुरादाबाद/थाना मैनाठेर

- **पुलिस कार्यवाही में 01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 11/12.05.2025 की रात्रि थाना मैनाठेर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम लालपुर गंगवारी के पास चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाश को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त शानू उर्फ शहनवाज घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। एक अन्य अभियुक्त मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद मुरादाबाद के विभिन्न थानों पर हत्या का प्रयास, एनडीपीएस एक्ट, सीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना मैनाठेर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–शानू उर्फ शहनवाज निवासी ग्राम युसूफपुर नंगलिया थाना पाकबडा जनपद मुरादाबाद।

<u>बरामदगी</u>

1–01 मोटर साइकिल।

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

<u>जनपद सहारनपुर/थाना बेहट</u>

- **पुलिस कार्यवाही में 01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 कार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 12.05.2025 को थाना बेहट पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पिठौडी मोड़ पर चेकिंग के दौरान कार सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त फैजान घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। एक अन्य अभियुक्त मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 कार, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद सहारनपुर के विभिन्न थानों पर चोरी, हत्या का प्रयास, धोखाधडी, सीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना बेहट पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1– फैजान निवासी ग्राम रीढी मोहिद्दीनपुर थाना बेहट जनपद सहारनपुर।

बरामदगी

1–01 कार।

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

कमिश्नरेट गाजियाबाद/थाना वेव सिटी

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 05 चार पहिया वाहन आदि बरामद**

दिनांक 12.05.2025 को थाना वेव सिटी व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र से 03 अभियुक्त 1–अनिल कुमार 2–यामीन उर्फ भोलू उर्फ काला 3–जितेन्द्र कुमार उर्फ कन्हैया को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के 05 चार पहिया वाहन आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी है, जिनके विरूद्ध कई आपराधिक अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना वेव सिटी पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अनिल कुमार निवासी जवॉ सिकन्दरपुर थाना जवॉ जनपद अलीगढ हाल पता सम्राट चौक विजय नगर, गाजियाबाद।

2–यामीन उर्फ भोलू उर्फ काला निवासी मौहल्ला ठाकुरान कुईया चौराहे के पास कस्बा व थाना ककोड जनपद बुलन्दशहर।

3–जितेन्द्र कुमार उर्फ कन्हैया निवासी जवॉ सिकन्दरपुर थाना जवॉ जनपद अलीगढ हाल पता सम्राट चौक विजय नगर, गाजियाबाद।

बरामदगी

1–चोरी के 05 चार पहिया वाहन।

जनपद फतेहगढ़/थाना कम्पिल

- **अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहा अभियुक्त गिरफ्तार**
- **30 निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर**
- **06 जीवित/खोखा कारतूस**
- **भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद**

दिनांक 12.05.2025 को थाना कम्पिल, एसओजी व सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र से अभियुक्त अन्तराम को गिरफ्तार किया गया। एक अन्य अभियुक्त मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तार के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 30 निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर, 06 जीवित/खोखा कारतूस, भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना कम्पिल पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अन्तराम निवासी राजेपुर कुर्रा, थाना सिकन्दरपुर वैश्य, जनपद कासगंज।

बरामदगी

1–30 निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर।

2–06 जीवित/खोखा कारतूस।

3–भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि।

➢ **<u>जनपद सहारनपुर/थाना नकुड़ (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 03 अभियुक्तों को आजीवन कारावास व 20 वर्ष की सजा एवं अर्थदण्ड)</u>**

जनपद सहारनपुर पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सहारनपुर द्वारा थाना नकुड़ पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/323 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त 1–विक्रम उर्फ विक्की को आजीवन कारावास की सजा व 60 हजार रूपये अर्थदण्ड, धारा–3/4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त 2–रिंकू को आजीवन कारावास व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड एवं धारा 363/323 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत 3–अभियुक्ता को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा एवं 60 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

➢ **<u>जनपद सम्भल/थाना बहजोई (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 12 वर्ष के कारावास की सजा व 30 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद सम्भल पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सम्भल द्वारा थाना बहजोई पर पंजीकृत अभियोग में धारा 4(1) पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त चन्द्रकेश उर्फ चौखे को 12 वर्ष के कारावास व 30 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

———————

दिनांक 12.05.2025
प्रेस विज्ञप्ति 21/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

फेसबुक पर आत्महत्या संबंधी पोस्ट का संज्ञान लेकर तत्काल पोस्ट अपलोड करने वाले युवक के जीवनरक्षा हेतु की गई काउंसलिंग

दिनांक 11.05.2025 को जनपद कानपुर नगर के थाना जूही क्षेत्र निवासी 22 वर्षीय युवक द्वारा ऑलआउट की शीशी की फ़ोटो लगाकर ''पूरी बोतल पी ली है मरने के लिए, अब देखो कुछ नहीं होगा पता नहीं कितनी देर में मरूँगाए बस जी मचल रहा है, मर गया तो मुबारक तुम्हें तुम्हारा नया यार, नहीं मरा तो मेरी किस्मत मरने में भी साथ नहीं दे रही'' यह टेक्स्ट लिखकर फेसबुक पर पोस्ट किया गया । उक्त पोस्ट के संबंध में दिनांक 11.05.2025 को समय 17:16 बजे मेटा कंपनी की तरफ से मुख्यालय पुलिस महानिदेशक स्थित सोशल मीडिया सेन्टर को ई.मेल के ज़रिए एलर्ट प्राप्त हुआ। जिसका तत्काल संज्ञान लेकर उच्चाधिकारियों को संज्ञानित कराया गया ।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, श्री प्रशान्त कुमार द्वारा उक्त एलर्ट पर तत्काल कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया। मेटा कम्पनी द्वारा भेजे गये अलर्ट का संज्ञान लेकर मुख्यालय की सोशल मीडिया सेन्टर द्वारा प्राप्त अलर्ट में उपलब्ध कराये गये मोबाइल नम्बर के आधार पर तत्काल युवक की लोकेशन की जानकारी करके जनपद कानपुर नगर को प्रकरण से तत्काल अवगत कराया गया।

मुख्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना एवं लोकेशन पर थाना जूही के उ0नि0 द्वारा मात्र 15 मिनट के अन्तराल में पहुंचकर युवक के परिजनों के सहयोग से अविलम्ब युवक को उल्टी कराकर घरेलू प्राथमिक उपचार कराया गया । युवक के स्वस्थ होने के उपरान्त जानकारी किए जाने पर उसके द्वारा बताया गया कि गर्लफ्रैन्ड से लड़ाई के कारण अवसाद में आकर आत्महत्या के उद्देश्य से ऑल आउट पी लिया गया था । पुलिस द्वारा की गई काउंसलिंग पर युवक द्वारा भविष्य में ऐसी गलती नहीं करने का आश्वासन दिया गया। युवक के परिजनों द्वारा स्थानीय थाने के पुलिसकर्मियों की तत्परता तथा उनके सहयोग हेतु उ0प्र0 पुलिस को धन्यवाद दिया गया।

उत्तर प्रदेश पुलिस एवं मेटा कम्पनी के मध्य 2022 से प्रचलित व्यवस्था के अंतर्गत यदि कोई भी व्यक्ति फेसबुक अथवा इंस्टाग्राम पर आत्महत्या किए जाने से सम्बंधित पोस्ट करता है तो ऐसी पोस्ट के सम्बंध में मेटा कम्पनी द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस को ई. मेल एवं फोन के माध्यम से अलर्ट भेजकर सूचित किया जाता है। दिनांक 01.01.2023 से 30.04.2025 के मध्य आत्महत्या संबंधी पोस्ट पर प्राप्त अलर्ट का संज्ञान लेकर कुल 875 व्यक्तियों के प्राणों की रक्षा उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा की जा चुकी है ।

———————